अध्याय

9

12146CH09

विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएँ

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी —

- विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और सहायक सेवाओं की अवधारणा को समझ सकेंगे,
- अपंगता और बच्चों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अपंगताओं की अवधारणा को बता सकेंगे,
- विशेष शिक्षा और संबद्ध सहायता सेवाओं में जीविका के लिए आवश्यक जानकारी और कौशलों को स्पष्ट कर सकेंगे।

महत्त्व

शिक्षा शब्द से हम सभी परिचित हैं। लेकिन 'विशेष शिक्षा' आप में से कुछ के लिए नयी अभिव्यक्ति हो सकती है। इस शब्द का अर्थ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए, शैक्षिक प्रावधानों से है, अर्थात् उन बच्चों के लिए जिनमें एक या एक से अधिक अपंगताएँ होती हैं और जिनकी भिन्न आवश्यकताएँ होती हैं। ये विशेष शैक्षिक आवश्यकताएँ (एस. ई. एन) कहलाती हैं। इस प्रकार विशेष शिक्षा का अर्थ सभी व्यवस्थाओं जैसे — कक्षा, घर, सड़क और जहाँ कहीं भी बच्चे जा सकते हैं, वहाँ ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से रचित निर्देशों से है।

कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चलने, खेलने, बोलने, देखने और सुनने में, समाज में लोगों से बातचीत करने अथवा किसी ऐसे कार्य को करने में अस्वाभाविक रूप से कठिनाई हो सकती है जिन कार्यों को करना आप सामान्य मानते हैं। इन बच्चों में कुछ स्थितियों के कारण अपंगता हो सकती है जैसे – सुनने में दोष, देखने

© NCERT not to be republished

में दोष या बौद्धिक दोष (अपंगताओं के प्रकारों के बारे में अधिक विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी)। इष्टतम रूप से संसार का अनुभव करने के लिए उन्हें अधिक प्रयास करना पड़ता है और इनके आस-पास के लोगों को उनके इस प्रयास में उन्हें सक्षम बनाना होता है।

क्रियाकलाप 1

क्या आप किसी ऐसे बच्चे के बारे में सोच सकते हैं जिसमें ऊपर बताई गई अपंगताओं में से एक पाई जाती है? यदि नहीं, तो अपने परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी से पूछिए कि क्या वे किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं? किसी ऐसे बच्चे/व्यक्ति से मिलने, देखने और बात करने का प्रयास कीजिए। बच्चे के बारे में कुछ पंक्तियों में लिखिए। पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय जाता/जाती है। यदि हाँ, तो किस विद्यालय में जाता/जाती है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं जाता/जाती है?

बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताएँ (एस. ई. एन.) विशेष शिक्षा की कुछ कार्यविधियों द्वारा पूरी की जाती हैं। विशेष शिक्षा, अपंग-विद्यार्थियों के लिए पृथक अथवा विशिष्ट शिक्षा नहीं है। यह एक ऐसा उपागम है जो उनके लिए सीखना सुगम बनाता है और विभिन्न क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को संभव बनाता है जिनमें वे अपनी अक्षमता अथवा विद्यालय के कारण भाग नहीं ले पाते थे। अत: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सदैव एक अलग संस्थान में नहीं पढ़ना पड़ता। वास्तव में, उनमें से अधिकांश बच्चे विद्यालय की सामान्य कक्षाओं में आसानी से पढ़ सकते हैं। तथापि, कुछ बच्चे जिन्हें अपनी अपंगता के स्वरूप के कारण गंभीर कठिनाइयाँ होती हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए बनाई गयी कक्षाओं में पढ़ें तो उन्हें बहुत लाभ होता है, क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत कम संख्या में विद्यार्थी समूह में एक साथ होते हैं, और वहाँ जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है। जो शिक्षक/अध्यापक विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं,वे विशेष शिक्षक कहलाते हैं।

जब विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे/विद्यार्थी सामान्य कक्षाओं में अपने साथियों के साथ पढ़ते हैं तो यह व्यवस्था *"समावेशी शिक्षा"* कहलाती है। जैसा कि इस शब्द से पता चलता है, इस उपागम को निर्देशित करने वाला दर्शन यह है कि विविध आवश्यकताओं (शैक्षिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक) वाले विद्यार्थियों को एक साथ ऐसी आयु-उपयुक्त कक्षाओं,/समूहों में रखा जाए, जिससे बच्चे अपनी अधिगम क्षमताओं को इष्टतम रूप से प्राप्त कर सकें। वे जिस विद्यालय अथवा कार्यक्रम के भाग होते हैं, अपनी पाठ्यचर्या शिक्षण विधियों और भौतिक संरचना में उपयुक्त समायोजन और रूपांतरण करते हैं जिससे उनकी शिक्षा सुगम हो सके।

जो व्यक्ति विशेष शिक्षक बनने का निश्चय करता है, उसकी जीविका 'विशेष शिक्षा में जीविका' मानी जाती है। विशेष/समावेशी शिक्षा के अनेक मॉडल हैं, जिनमें विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कार्य कर सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(i) कुछ विद्यालय/कार्यक्रम केवल अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश विद्यालय विशिष्ट अपंगताओं वाले जैसे – बौद्धिक दोष, प्रमस्तिष्कघात (सेरीब्रलपाल्सी) अथवा दृष्टि दोष वाले बच्चों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये विशेष विद्यालय/कार्यक्रम की श्रेणी में आते हैं और इनके

© NCERT not to be republished

लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो उन विशिष्ट अपंगताओं वाले बच्चों के लिए कार्य करने में प्रशिक्षित हों।

(ii) एक सामान्य शिक्षा विद्यालय/कार्यक्रम के अपने परिसर में ही विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा सकता है। यहाँ कुछ अथवा सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर कुछ समय के लिए नियमित कक्षाओं में रखा जाता है। ऐसी व्यवस्था में विशेष शिक्षक पूर्णत: केवल विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चों को ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि सामान्य कक्षा के शिक्षकों को भी शिक्षा संबंधी (निर्देशात्मक) सहायता प्रदान करते हैं।

(iii) ऐसे अनेक सामान्य विद्यालय हैं जो समावेशी हैं। इसका अर्थ है कि विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में पढ़ते हैं। विशेष शिक्षक फिर नियमित शिक्षकों के साथ काम का समन्वय करते हैं और विद्यालय के संसाधन कक्ष में विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिक्षा सहायता प्रदान करते हैं।

विशेष और समावेशी शिक्षा के प्रभावी होने के लिए बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सहायता सेवाएँ भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये विद्यालय के अंदर अथवा समुदाय में स्थित हो सकती हैं, जहाँ यह आसानी से परिवार की पहुँच में हों, यह हैं —

(i) विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए संसाधन सामग्री

(ii) विद्यार्थियों के लिए परिवहन सेवा

(iii) वाक् चिकित्सा

(iv) शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा

(v) बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के लिए परामर्श सेवा

(vi) चिकित्सा सेवाएँ

(iii) से (vi) में सूचीबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पास, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में उच्चत्तर शैक्षिक योग्यताएँ एवं प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यद्यपि इन क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा इस अध्याय के दायरे से बाहर है।

मूलभूत संकल्पनाएँ

कक्षा XI की एच. ई. एफ़. एस. पाठ्यपुस्तक के भाग-2 के अध्याय "देखभाल और शिक्षा" में आपने पढ़ा कि हमारा विद्यालय तंत्र अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि उनके प्रशिक्षण के दौरान सामान्य शिक्षा के शिक्षकों को उन विशेष विधियों के प्रति पर्याप्त रूप से दिशानिर्देशित नहीं किया जाता, जिनकी भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए ज़रूरत होती है। एक समावेशी कक्षा में, सभी शिक्षकों को विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले विद्यार्थियों

© NCERT not to be republished

के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता हो, तो शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि पाठ को किस प्रकार रोचक बनाया जाए, छोटी इकाइयों में बाँटा जाए और बच्चे को धीमी गति से धैर्यपूर्वक पढ़ाया जाए। श्रवणदोष अथवा दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़े भिन्न कौशलों की आश्यकता होती है। सभी शिक्षक तो कुछ कौशल अर्जित कर सकते हैं, लेकिन विशेष शिक्षक इन विधियों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि विशेष शिक्षा विधियाँ, अपंग बच्चों को जितना हो सके उतनी जानकारी प्रदान करने में सहायक होती हैं जिससे उनकी वृद्धि और विकास पूरी क्षमता के साथ हो सके। शब्द अपंगता का उपयोग इस पाठ में अब तक तो अनेक बार हुआ है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि अपंगता और बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों से हमारा क्या अभिप्राय है।

अपंगता — विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू. एच. ओ.) के अनुसार, "अपंगता", एक समावेशी शब्द है जिसमें दोष, सीमित क्रियाकलाप और भागीदारी में कठिनाई शामिल हैं। कुछ बच्चे शारीरिक, संवेदी अथवा मानसिक दोषों के साथ जन्म लेते हैं। कुछ अन्य बच्चों में वृद्धि के दौरान कुछ दोष विकसित हो जाते हैं जो उनके दैनिक कार्यों को करने की उनकी क्षमता कम कर देते हैं। शैक्षिक संदर्भ में इन्हें, "अपंग", बच्चे कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इन्हें "चुनौती प्राप्त" भिन्न रूप से सक्षम/भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे भी कहते हैं।

अपंगताओं का वर्गीकरण - अधिकांश अपंगताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है —

(i) बौद्धिक क्षति (सीमित बौद्धिक कार्य और अनुकूलनात्मक कौशल),

(ii) दृष्टि दोष (इसमें कम दृष्टि और पूर्ण अंधता शामिल हैं),

(iii) श्रवण दोष (इसमें आंशिक श्रवण हानि और बहरापन शामिल हैं),

(iv) प्रमस्तिष्कघात (सेरीब्रलपाल्सी) मस्तिष्क की क्षति के कारण चलने-फिरने, उठने बैठने, बोलने और हाथ से काम करने में कठिनाई,

(v) स्वलीनता, (ऐसी अपंगता जो संप्रेषण/बोलचाल सामाजिक अंत:क्रिया मेलजोल और खेल व्यवहार को प्रभावित करती है),

(vi) चलने फिरने संबंधी अपंगता (हड्डियों, जोड़ों और पेशियों में क्षति के कारण चलने-फिरने में कठिनाई),

(vii) अधिगम अक्षमता (पढ़ने, लिखने और गणित में कठिनाइयाँ)

क्रियाकलाप 2

कक्षा को 5–6 विद्यार्थियों के समूहों में बाँटें, समूह में एक दूसरे से चर्चा करें और उन शब्दों की सूची बनाएँ जिन्हें आपने अपंग बच्चे/वयस्क को संबोधित करने के लिए सुना था। देखिए कि क्या उनमें से किसी शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ है।

© NCERT not to be republished

अपंगताओं के कारण — क्षतियों के कारणों पर विस्तृत चर्चा इस अध्याय के दायरे से बाहर है। संक्षिप्त रूप से बाहर है। संक्षिप्त रूप से इन कारणों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है —

(i) जन्म से पहले प्रभावित करने वाले आनुवांशिक और गैर-आनुवांशिक दोनों कारक;

(ii) ऐसे कारक जो बच्चे को जन्म के समय और उसके तत्काल बाद प्रभावित करते हैं और

(iii) ऐसे कारक जो विकास की अवधि के दौरान बच्चे पर असर करते हैं।

विशेष शिक्षा विधियाँ

विशेष शिक्षा की कुछ विशिष्ट विधियाँ और प्रक्रियाएँ होती हैं जो विशेष शिक्षक के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना/सिखाती हैं। इनके बारे में यहाँ संक्षेप में उनके क्रियान्वयन के क्रम में बताया गया है —

(i) पहले, विद्यार्थी के स्तर का विकास और अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक विकास, (उदाहरण — गणित की अवधारणाएँ) भाषा विकास अथवा सामाजिक कौशल के क्षेत्रों में विकास।

(ii) मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम (आई. ई. पी.) विकसित किया जाता है जिसका उपयोग विद्यार्थी के साथ व्यवहार करने में मार्गदर्शन के लिए किया जाता है।

(iii) आई. ई. पी का नियमित मूल्यांकन किया जाता है जिससे यह निर्धारण किया जा सके कि अधिगम और विकास के लक्ष्य पूरे हुए हैं या नहीं और विद्यार्थी ने कितनी प्रगति की है।

(iv) पूरे क्रम में सहायक सेवाओं (जैसे – वाक्चिकित्सा उपचार परामर्श सेवा) तक पहुँच और उनका प्रयोग सुगम बनाया जाता है जिससे विशेष शिक्षा के विद्यार्थी पर वांछित प्रभाव पड़ सके।

ज्ञान और कौशल

इस व्यवसाय का अनुपालन करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए रुझान और सीखने की इच्छा हो। आइए हम देखते हैं कि विशेष शिक्षा में व्यक्ति के लिए किस प्रकार के ज्ञान और कौशलों की आवश्यकता होती है।

अपंगता के प्रति अपनी निजी मान्यताओं और रवैये को समझना – हम में से अधिकांश लोग सामाजिक परिघटनाओं जैसे – जेंडर और सामाजिक वर्ग के बारे में अपनी मान्यताओं/धारणाओं को अपने अनुभवों के साथ ही उन अन्य महत्वपूर्ण लोगों की मान्यताओं के आधार पर बनाते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जैसे – हमारे माता-पिता। अत: दर्शाना और जागरूक होना महत्वपूर्ण है कि आप अपंग व्यक्ति को किस प्रकार देखते हैं। आपकी भी यह रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे कम सक्षम होते हैं, अत: वे समान अधिकारों के योग्य नहीं होते हैं। यदि हम अपने निजी पूर्वाग्रहों को समझ लें, तो उन्हें रूपांतरित करके सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं।

© NCERT not to be republished

विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण, बच्चों की आवश्यकताओं को समझने, उनकी अपंगताओं से संबंधित प्रचलित मिथ्या धारणाओं और सामाजिक कलंकों को दूर करने और उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक होता है।

(i) *संवेदनशीलता विकसित करना* — यदि किसी अधिक वज़न वाले व्यक्ति को दूसरों द्वारा सैदव मोटा कहकर बुलाया जाए तो यह कथन असंवेदनशीलता की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। यह उसे अनुचित तरीके से बुलाना है। विशेष शिक्षकों से अपंग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने की उम्मीद की जाती है। वे ऐसे शब्दों और भाषा का प्रयोग करके यह काम कर सकते हैं जैसे सबसे पहले बच्चों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें और उनके साथ इस धारणा के साथ काम करें कि वे बच्चे भी अन्य सभी बच्चों की भाँति सीख सकते हैं और विकास कर सकते हैं। उनमें तथा उनके अभिभावकों में उम्मीद जगा सकें। अपंग बच्चे के प्रति असम्मान अथवा महज़ दया और सहानुभूति का भाव, उनके प्रति असंवेदनशीलता और सम्मान की कमी को दर्शाते हैं।

(ii) *विकलांगता के बारे में जानकारी* — चूँकि विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम पर ध्यान देते हैं, अत: उन्हें विभिन्न प्रकार की अपंगताओं की प्रकृति, इन अपंगताओं वाले बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं और उससे संबंधित ऐसी कठिनाइयों अथवा विसंगतियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए प्रमस्तिष्कघात (सेरीब्रलपाल्सी) वाले बच्चों में कुछ हद तक बौद्धिक दोष भी हो सकते हैं, परंतु फिर भी वे अन्य बहुत से काम कर सकते हैं।

(iii) *अंतर वैयक्तिक कौशल* — जो व्यक्ति बातचीत करने में अच्छे होते हैं, वे विशेष शिक्षक के रूप में प्रभावी हो सकते हैं। तथापि, प्रशिक्षण से आप संप्रेषण/बातचीत के कौशल विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में काम करने के लिए आवश्यकता होती है। अकसर बच्चों के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अंतर वैयक्तिक कौशल काफ़ी उपयोगी होते हैं।

(iv) *शिक्षण कौशल* — विशेष शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, जिसे शिक्षा-शास्त्र कहते हैं। इसका अर्थ है किसी विशेष-विषय जैसे – विज्ञान, समाज विज्ञान अथवा गणित पढ़ाने में सक्षम होना। शिक्षक को संकल्पनाओं और पाठों को हिस्सों में बाँट कर सरल करना आना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सिद्धांतों और उनके अर्थों को पूरी तरह समझ सकें।

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 3

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता की जाँच कीजिए।

दोनों में से किसी एक कॉलम में सही (√) का निशान लगाइए —

		हाँ	नहीं
1.	जब मैं किसी दृष्टिहीन बच्चे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ।	……..	……..
2.	मैं ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहती हूँ जो अपंग जान पड़ते हैं।	……..	……..
3.	जो बच्चे बहरे होते हैं, वे बातचीत करना नहीं सीख सकते।	……..	……..
4.	मैं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ।	……..	……..
5.	विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए।	……..	……..
6.	मुझे कक्षा में ऐसे बच्चों के साथ बैठने में कोई परेशानी नहीं है जो विशेष आवश्यकताओं वाले हैं।	……..	……..

उपरोक्त प्रश्नोत्तर में आपको कितने अंक प्राप्त हुए ?

A. वक्तव्य 1, 2, 3 में से किसी के लिए भी 'हाँ' का अर्थ है कि आपको अधिक संवेदनशीलता विकसित करने की जरूरत है।

B. वक्तव्य 4, 5, 6 के लिए 'हाँ' का अर्थ है कि आप काफ़ी संवेदनशील हैं।

विशेष शिक्षा में जीविका के लिए तैयार करना

विशेष और समावेशी शिक्षा व्यवस्था, दोनों शिक्षा कार्यक्रमों में विशेष शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की आवश्यकता समय के साथ बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से 'नि:शक्त व्यक्ति पी. डब्ल्यू. डी (अधिनियम) 1995, के पारित होने के बाद से इनकी माँग बढ़ी है। यद्यपि इस अधिनियम को 2016 में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आर.पी.डी. 2016)' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो 21 तरह के विकलांगता को संबोधित करता है। सर्व शिक्षा अभियान (एस. एस. ए.) में सभी बच्चों के लिए आठ वर्ष की शिक्षा का प्रावधान है।

बड़ी संख्या में ऐसे विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की माँग के कारण, विशेष शिक्षा में जीविका काफ़ी आकर्षक प्रतीत होती है। भारत में नि:शक्तता से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों के लिए सभी प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय पुर्नवास परिषद् (आर. सी. आई.) द्वारा नियंत्रित होता है। यह स्वायत्त संस्था अनेक मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा देश भर में सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा और डिग्री स्तर

© NCERT not to be republished

के पाठ्यक्रमों के पैकेजों में विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आना संभव है। वर्तमान में उपलब्ध कुछ पाठ्यक्रम और सेवा-पूर्व प्रशिक्षण निम्नलिखित हैं —

(i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की 'समावेशन समर्थित प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा' (*अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इनेबलिंग इनक्लूज़न*) में सर्टिफ़िकेट पाठ्यक्रम, जो अभ्यार्थी को प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष/समावेशी शिक्षक बनने के योग्य बनाता है। इस पाठ्यक्रम को करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा X पास होना है। उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति भी इसे कर सकते हैं।

(ii) किसी भी क्षेत्र में स्नातक डिग्री लेने के बाद विशेष शिक्षा में स्नातक डिग्री अभ्यार्थी को विशेष/समावेशी विद्यालय में शिक्षक के योग्य बनाती है। ऐसी डिग्री पारंपरिक विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा विद्यालयों जैसे – इग्नू तथा सरकार द्वारा संचालित श्रवण बाधितों, दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से अक्षम राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है।

(iii) जिन व्यक्तियों के पास बाल-विकास, मानव-विकास, मनोविज्ञान अथवा सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री हो, वे आर. सी. आई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करके, जिसमें प्रवेश के लिए योग्यता स्नातकोत्तर से कम हो, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जीविका प्राप्त कर सकते हैं। ये योग्यताएँ विशेष शिक्षकों के रूप में मान्यता प्रदान करती हैं।

(iv) अपंगता अध्ययनों में स्नातकोत्तर डिग्री व्यक्ति को अपंगता के क्षेत्र में वृहत् भूमिका निभाने जैसे कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण, अनुसंधान, कार्यक्रमों की योजना बनाने और अपना निजी संगठन स्थापित करने योग्य बनाती है।

(v) मानव-विकास अथवा बाल-विकास के अनेक विभाग, विभिन्न विश्वविद्यालयों में गृह-विज्ञान संकायों के अंतर्गत बाल्यावस्था अपंगता से संबंधित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्नातकोत्तर अध्ययन जिनमें अपंग बच्चों के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन सम्मिलित हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न क्षमताओं संस्थानों के काम करने के लिए उचित रूप से तैयार करते हैं।

कार्यक्षेत्र

किसी व्यक्ति ने विशेष शिक्षा से संबंधित कौन से पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है और किस स्तर तक उच्चस्तर तक उच्चतर शिक्षा ग्रहण की है, इसके आधार पर इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। इसमें कक्षा X के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षक बनने से लेकर अपना निजी उद्यम खोलने और चलाने में सक्षम होने तक की संभावनाएँ हैं। कुछ वर्ष के अनुभव के साथ विद्यालयों में विशेष शिक्षा कार्यक्रमों के अध्यक्ष (प्रमुख) बनने अथवा विशेष विद्यालयों के प्रबंधक बन जाने की भी संभावना रहती है। जो गैर सरकारी संगठन सर्व शिक्षा अभियान (एस. एस. ए) दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, उन्हें भी योग्य विशेष शिक्षकों और प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है।

© NCERT not to be republished

प्रमुख शब्द

विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षक, अपंगता, समावेशी शिक्षा, संवेदनशीलता, आई.ई.पी., एस.ई.एन., आर.पी.डी. अधिनियम

पुनरवलोकन प्रश्न

1. 'विशेष शिक्षा' से आपका क्या अभिप्राय है? किसी शिक्षक को 'विशेष शिक्षक' क्यों कहते हैं?
2. 'समावेशी शिक्षा' को आप कैसे समझाएँगे?
3. विशेष और समावेशी शिक्षा के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए।
4. उन सहायक सेवाओं के नाम बताइए जो बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली विशेष शिक्षा को संभव बनाती हैं?
5. 'अपंगता' को परिभाषित कीजिए। बाल्यावस्था की अपंगताओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?
6. एक विशेष शिक्षक बनने के लिए किस प्रकार के ज्ञान और कौशलों की आवश्यकता होती है?
7. यदि किसी व्यक्ति को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे?

© NCERT not to be republished